

# कार्यालय उप वन संरक्षक, बारां

E-mail-dcf.brn.forest@rajasthan.gov.in, Tel.No.. 07453&230244

क्रमांक0 एफ ( )/एफ.सी.ए./ उ.व.स./2023-24/ 8484

दिनांक 24-10-2024

निमित्त:-

संभागीय मुख्य वन संरक्षक,  
कोटा।

विषय :-पाटडी से भटगांव सडक निर्माण के वन भूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव।

Proposal no.FP/RJ/ROAD/42427/20219 (1.5ha)

संदर्भ:- प्रधान मुख्य वन संरक्षक,FCAनोडल अधिकारी राज0 जयपुर के पत्र क्रमांक  
1264 दिनांक 22.05.2024 के क्रम में।


महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृती दिनांक 22.07.2010 को जारी हुई है। सैद्धान्तिक स्वीकृती की पालना रिपोर्ट 5 वर्षों के उरान्त भी नहीं भिजवाने के कारण भारत सरकार पर्यावरण एव वन मंत्रालय लखनऊ के पत्र क्रमांक 8 बी /राज/06/11/2008/ 976 दिनांक 9.11.2015 द्वारा प्रकरण में जारी सैद्धान्तिक स्वीकृती को रद्द कर दी गई।

भारत सरकार के परिपत्र दिनांक 21.05.2018 से यूजर एजेन्सी द्वारा नवीन प्रस्ताव परिवेश पोर्टल पर अपलोड किये गये है। Proposal no.FP/RJ/ROAD/42427/20219 (1.5ha)

परन्तु उक्त प्रकरण में प्रस्तावित स्थल पर अधिशाषी अभियन्ता सा. नि. वि. छबडा के द्वारा बिना सक्षम स्वीकृति के मौके पर दिनांक 26.05.2008 को निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया था जो वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन की श्रेणी में आने के कारण अधिशाषी अभियन्ता सा. नि. वि. छबडा जिसके विरुद्ध FIR न0 120-37 दिनांक 26.05.2008 को प्रकरण दर्ज कर निर्माण कार्य बन्द करवा दिया गया जिसमें तत समय जुर्माना राशि वसूल नहीं की गई थी। वर्तमान में सडक का निर्माण कार्य बन्द है

संदर्भित पत्र से अवगत कराया गया है कि प्रकरण में नवीन (वर्तमान) वन संरक्षण एवं सवर्धन अधिनियम 1980 के उल्लंघन पर कार्यवाही हेतु पैरा 1.16 के क्रम में उक्तानुसार कार्यवाही कर दी गई है। रिपोर्ट अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

  
(अनिल यादव)

उप वन संरक्षक


बारां

दिनांक 24-10-2024

क्रमांक0 एफ ( )/एफ.सी.ए./उ.व.स./2023-24/ 8485

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1.अति.प्रधान मुख्य वन संरक्षक,FCAनोडल अधिकारी राज0 जयपुर।

  
(अनिल यादव)

उप वन संरक्षक

बारां

E/PADTI TO BHATGAW ROAD 2023